न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
147 / 2025	02 / 09 / 2024	06 / 10 / 2025

1- मोती पुत्र जौहरी आयु 77 साल जाति कलाल निवासी ग्राम रायसर तहसील आंधी जिला जयुपर।

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कल्याण सहाय मीणा
2. कैलाश पुत्र कल्याण सहाय मीणा

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति मीणा समस्त निवासीयान ग्राम देवीतला तहसील आंधी जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आधी तहसील आंधी जिला जयुपर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकिल वादी
श्री विनोद कुमार शर्माः– वकिल प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–183 आर0टी0एक्ट 1955

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा अन्तर्गत 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस कथन के साथ पेश किया वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम देवीतला पटवार हल्का रायसर तहसील आंधी में आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 0. 0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.3100 हैक्टेयर स्थित हैं जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त आराजी लिखा गया हैं। वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 244, 245 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त आराजी पर रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से खुद काश्त करता हैं तथा वादी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा करने, उपयोग व उपभोग कर शांति पूर्ण काश्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं हैं। उक्त वर्णित वादी की वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 का कोई लेना देना व सरोकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 वादी कि खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से वेदखल करके वादी के द्वारा भूमि वादग्रस्त के उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करने में बाधा दखल उत्पन्न करते हैं जिसका कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

को कतई ही अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 ने अपने परिवारजन को साथ लेकर वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह, केवल मात्र वादग्रस्त भूमि में वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा दखल करके अतिक्रमण करने के इरादे से एवं लाठी व ताकत के जोर पर वादी को जबरन बेदखल करके वादी की भूमि में कब्जा व अतिक्रमण कर वादी के कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जबकि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 व उनके परिवारजन का वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का कतई कोई हक अधिकार नहीं हैं, फिर भी प्रतिवादी 1 लगायत 2 ने वादी को बेदखल कर दिया वादी की वादग्रस्त भूमि पर अपना अतिक्रमण कर व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 की उक्त समस्त कार्यवाहीयां पूर्णतया आपराधिक व गैर कानूनी हैं। जिनको रोकने व रूकवाने के लिए वादी को वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ हैं। दिनांक 20/05/2025 को सीमाज्ञान / पत्थरगढी हेतु प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को निवेदन किया तो उन्होने साफ मना कर दिया उक्त प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया हैं तो वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त अवैध कब्जे को खाली करने को कहां तो प्रतिवादी 1 लगायत 2 ने वादी से गाली गलौच कि तथा मौके पर वादी की भूमि में अवैध प्रवेश करते हुए कि हम उक्त कब्जा नहीं छोडेगें । प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के उक्त कृत्यों के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी है जिससे यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को उक्त प्रकार की नाजायज हरकते नहीं करने के लिए बार बार समझाया किन्तु वे समझाईस से नहीं मानते हैं, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 झगडालू व गुण्डा प्रवृत्ति के लोग हैं तथा वादी शान्तिप्रिय एवं कानून को मानने वाला हैं, इसलिए वादी के पास प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 के विरूद्ध उक्त वादपत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वाद कारण दिनांक 20/05/2025 को उपरोक्त वर्णित घटना कारित होकर अबतक निरन्तर जारी हैं।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 डिकी फरमाया जाकर भूमि विवादित ग्राम देवीतला पटवार हल्का रायसर आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.3100 हैक्टेयर पर प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 द्वारा अतिक्रमण कर किये गया कब्जा मय तहसीलदार एवं पुलिस जाप्ता हटाया जावे तथा उक्त भूमि वादी को सम्भलाई जावे तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 2 को पाबन्द किया जावे कि भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर कब्जा ना तो स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, भाई बन्धुओं से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में विधिवत सुनवाई की। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली में तहसीलदार रिपोर्ट पेश हुई जिसे शामिल मिसल किया गया।

वकिल उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार आंधी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार आंधी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.3100 हैक्टेयर किस्म चाही 3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम देवीतला तहसील आंधी जो कि वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का मौके पर अवैध कब्जा काश्त बताया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट 1955 स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 244 रकबा 0.0100 हैक्टेयर किस्म गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 245 रकबा 0.3100 हैक्टेयर किस्म चाही 3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.32 हैक्टेयर ग्राम देवीतला तहसील आंधी पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

कब्जे से बेदखल के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार आंधी को निर्देश दिये जाते है कि यदि बेदखल करने में कोई बांधा उत्पन्न होती है तो आप स्वयं अपने स्तर से पुलिस जाप्ता लेकर पालना करवाना सुनिश्चित करें। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजी मे वादी के हिस्से व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का दखल उत्पन्न नहीं करें, वादी की भूमि में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 06/10/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़